भारत सरकार

वित्‍त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 2319**

(जिसका उत्‍तर 6 दिसंबर, 2016/15 अग्रहायण, 1938 (शक) को दिया जाने वाला है)

**आर्थिक गलियारे का विकास**

**2319. श्री हिशे लाचुंगपा:**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में 27,000 किलोमीटर का आर्थिक गलियारा विकसित करने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) विभिन्न हितधारकों का ब्यौरा क्या है और आर्थिक गलियारे का वित्तपोषण किस प्रकार किया जाएगा?

**उत्‍तर**

**वित्‍त मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)**

**(क) और (ख):** सरकार ने पांच औद्योगिक गलियारे विकसित करने की योजना बनाई है, नामत: (i) दिल्‍ली-मुम्‍बई औद्योगिक गलियारा (डीएमआईसी) (ii) चेन्‍नई-बंगलूरू औद्योगिक गलियारा (सीबीआईसी) (iii) बंगलूरू-मुम्‍बई आर्थिक गलियारा (बीएमईसी) (iv) अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारा (एकेआईसी): और (v) विजाग-चेन्‍नई औद्योगिक गलियारा (वीसीआईसी)।

 डीएमआईसी परियोजना के लिए अनुमोदित संस्‍थागत तथा वित्‍तीय संरचना के अनुसार, राज्‍य सरकारों को परियोजना में अपने हिस्‍से के रूप में इस प्रयोजन के लिए बनाए गए विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवी) के लिए भूमि उपलब्‍ध करानी है तथा भारत सरकार प्रति नोड अधिकतम 3000 करोड़ रुपए की सीमा के अध्‍यधीन समतुल्‍य अनुदान का अंशदान करेगी जो सरकारी निजी भागीदारी-भिन्‍न विशाल अवसंरचना के लिए डीएमआईसी परियोजना कार्यान्‍वयन ट्रस्‍ट फंड के जरिए दिया जाएगा। मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, पीपीपी अवसंरचना, परियोजनाएं अर्थक्षमता संबंधी अंतराल के निधियन के लिए पात्र होंगी।

 चूंकि, सीबीआईसी, बीएमईसी तथा एकेआईसी योजना निर्माण की प्रारंभिक अवस्‍थाओं में है, इसलिए संस्‍थागत तथा वित्‍तीय संरचना अभी तक अनुमोदित नहीं की गई है। वीसीआईसी के विकास के लिए एशियाई विकास बैंक द्वारा 625 मिलियन अमरीकी डॉलर का ऋण अनुमोदित किया गया है।

 कुल मिलाकर, इन गलियारा परियोजनाओं में शामिल राज्‍य सरकारें, केन्‍द्र सरकार के संबंधित मंत्रालय तथा विभिन्‍न एजेंसियां हितधारक हैं।

\*\*\*\*\*\*\*